रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 143] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 18, 2011/फाल्गुन 27, 1932
No. 143] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 18, 2011/PHALGUNA 27, 1932

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2011

सा.का.नि. 222(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 637 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार (कम्पनी कार्य विभाग) की 24 जून, 1985 की संख्या सा.का.नि.506(अ) में प्रकाशित अधिसूचना को प्रतिस्थापित करते हुए, ऐसी बातों के अतिरिक्त जिन्हें इस प्रतिस्थापन से पूर्व ही किया जा चुका है या करने से छूट दी जा चुकी है, एतद्द्वारा कम्पनी रजिस्ट्रारों को उक्त अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्र सरकार के अधिकार और कर्तव्य प्रदान करती है, नामत: :—

- धारा 21,
- धारा 25,
- धारा 31 के उप-खंड (1) का परंतुक,
- धारा 108 की उप-धारा (1घ),
- धारा 572 :

● बशर्ते कि धारा 108 की उप-धारा (1घ) के अंतर्गत अधिकारों व कर्तव्यों का प्रयोग तथा निष्पादन उस राज्य के कम्पनी रजिस्ट्रार, जिसमें कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, अथवा उस राज्य के कम्पनी रजिस्ट्रार, जिसका अंतरिती सामान्यतया: निवासी है, द्वारा किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 5/7/2011-सीएल-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2011

G.S.R. 222(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 637 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), and in supersession of the notification of the Government of India, in the (Department of Company Affairs), No. G.S.R. 506(E), dated the 24th June, 1985, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby delegates to the Registrars of Companies, the powers and functions of that Central Government under the following provisions of the said Act, namely :—

- Section 21,
- Section 25,
- Proviso to Sub-section (1) of Section 31,
- Sub-section (1D) of Section 108,
- Section 572 :

● Provided that the powers and functions under sub-section (1D) of Section 108 shall be exercised and performed either by the Registrar of Companies of the State in which the registered office of the company is situated, or by the Registrar of Companies of the State in which the transferee ordinarily resides.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 5/7/2011-CL-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

1008GI/2011

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.